पत्रांक–8/वि० MDMC-25/2008 (अंश 'ख')......983....../

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषकः

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 29/6/12

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रथम त्रैमास हेतु उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में राज्यादेश संख्या–13 दिनांक 25.06.12 द्वारा कुल 24125.76 लाख (दो अरब एकतालीस करोड़ पचीस लाख छिहत्तर हजार) रू० तथा राज्यांश मद में राज्यादेश संख्या–14 दिनांक 25.06.12 द्वारा कुल 6555.00 लाख (पैंसठ करोड़ पचपन लाख) रू० के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. (क) मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निर्धारित राशि निम्नवत है :–

(i) 1 अप्रैल 2012 से वर्ग I-V के बच्चों के लिए परिवर्तन मूल्य की नयी दर 3.14 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 4.65 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में वर्ग I-V के बच्चों के लिए 2.33 रू० तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 3.49 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ग I–V तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए क्रमशः 0.81 रु० तथा 1.16 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से राज्यांश के रूप में निर्धारित है।

(ii) प्रति रसोईया–सह–सहायक प्रतिमाह 1000/–रू० की दर से वर्ष के 10 माह के लिये मानदेय मानदेय का भुगतान किया जाना निर्धारित है। रसोइया–सह– सहायक के मानदेय मद में होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में किया जाता है।

(iii) इसके अलावे वर्ग I-V के बच्चों के लिये 100 ग्राम खाद्यान्न तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिये 150 ग्राम खाद्यान्न निर्धारित है।

(iv) इस राशि से वर्ग I–V के बच्चों को भोजन में प्रतिदिन 450 कैलारी एवं 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा प्रतिदिन उपलब्ध करना है जबकि वर्ग VI–VIII के बच्चों को भोजन में 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए प्रतिदिन का मीनू निर्धारित है।

(v) परिवहन–सह–हथालन हेतु 750/– रू० प्रति मीट्रिक टन निर्धारित है जिसमें से राज्य खाद्य निगम को प्रति मीट्रिक टन 350 रू० की दर से तथा राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न के परिवहन–सह– हथालन हेतु 400 प्रति मीट्रिक टन राशि का भुगतान निर्धारित है।

(vi) भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न हेतु प्रति मीट्रिक टन 5650 रु० तथा VAT हेतु 4% राशि निर्धारित है।

71

2. (ख) (i) बैठक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण व्यय के लिये प्रति जिला प्रति वर्ष अधिकतम व्यय 10000 रू० निर्धारित है।

(ii) प्रत्येक जिला के लिए यात्रा मद में प्रति माह अधिकतम व्यय 6000 रू० निर्धारित है।

(iii) कार्यालय किराया मद में प्रतिमाह प्रति जिला अधिकतम व्यय 6000 रू० निर्धारित है।

(iv) ऑफिस कन्टिजेन्सी (स्टेशनरी, आकस्मिकता सहित) फोन/फैक्स/डाक टिकट/कैमरा/फर्निचर/ कार्यालय उपस्कर आदि पर प्रति जिला प्रति वर्ष अधिकतम व्यय 100000 रू० निर्धारित है।

(v) वाहन किराया मद में प्रति जिला प्रति माह अधिकतम व्यय 25000 रू० निर्धारित है।

(vi) जेनरेटर के ईंधन मद में प्रति माह प्रति जिला अधिकतम व्यय 5000 रू० निर्धारित है।

(vii) प्रखंड साधन सेवी को विद्यालयों से एकत्रित आँकड़े मासिक MIS में प्रविष्ट करने के लिए प्रति माह प्रति विद्यालय 16 रू० की दर से भुगतान निर्धारित है। किन्तु यह कार्य प्रत्येक माह के 15 तारिख तक सम्पन्न नहीं किए जाने पर प्रत्येक साधन सेवी से 32 रू० प्रति माह प्रति विद्यालय की दर से राशि की कटौती किया जाना है।

(viii) कंडिका–02 (ख) की उप कंडिका (i) (ii) (iii) (v) (vi) एवं (vii) में अंकित मद में अवशेष राशि को उप कंडिका–(iv) में अंकित मद यथा ऑफिस कन्टिजेन्सी आदि मद में आवश्यकतानुसार व्यय अनुमान्य है।

2. (ग) (i) प्रत्येक जिला समन्वयक को 11000 रू० प्रति माह की दर से, जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी को 6000 रू० प्रति माह की दर से भुगतान निर्धारित है।

(ii) लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को 7500 रू० प्रति माह की दर से तथा लेखापाल को 10000 रू० प्रति माह की दर से भुगतान निर्धारित है।

3. इस पत्र के द्वारा उक्त कंडिका–01 में अंकित केन्द्रांश की राशि से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए वर्ग I-VIII के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन हेतु परिवर्तन मूल्य मद में 15196.49 लाख रू०, रसोईया–सह–सहायक के मानदेय मद में 3442.00 लाख रू०, खाद्यान्न मूल्य मद में 3975.05 लाख रू०, परिवहन–सह–हथालन मद में 507.37 लाख रू०, प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में 223.14 लाख रू० तथा NCLP के बच्चों के लिए (परिवर्तन मूल्य, खाद्यान्न मूल्य एवं परिवहन–सह–हथालन सहित) 172.65 लाख रू० इस तरह केन्द्रांश मद में कुल 23516.70 लाख (दो अरब पैंतीस करोड़ सोलह लाख सत्तर हजार) रू० मात्र जिलों को उपावंटित की जाती है। राज्यादेश संख्या–13 दिनांक 25.06.12 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की शेष राशि 609.06 लाख (छः करोड़ नौ लाख छः हजार) रू० मुख्यालय के खाता में सुरक्षित रहेगें जिसे आवश्यकतानुसार जिलों को आवंटित किया जाएगा।

4. पुनः इस पत्र के द्वारा उक्त कंडिका–01 में अंकित राज्यांश की राशि से राज्य के विभिन्न जिलों के लिए वर्ग I-VIII के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन हेतु परिवर्तन मूल्य मद में 5208.00 लाख रू०, रसोईया–सह–सहायक के मानदेय मद में 1147.40 लाख रू० NCLP के बच्चों के लिए (परिवर्तन मूल्य, खाद्यान्न मूल्य एवं परिवहन–सह–हथालन सहित) 44.68 लाख रू० इस तरह राज्यांश मद में कुल 6400.08 लाख (चौसठ करोड़ आठ हजार) रू० जिलों को उपावंटित की जाती है। राज्यादेश संख्या–14 दिनांक 25.06.12 द्वारा स्वीकृत राज्यांश की शेष राशि 154.92 लाख (एक करोड़ चौवन लाख बानवे हजार) रू० मुख्यालय के खाता में सुरक्षित रहेगें जिसे आवश्यकतानुसार जिलों को आवंटित किया जाएगा।

5. इस पत्र की कंडिका–03 एवं 04 के द्वारा जिलों को उपावंटित की जाने वाली केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–01, अनुलग्नक–02 एवं राज्यादेश की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

6. उक्त कंडिका–03 एवं 04 में उपावंटित राशि आवश्यकतानुसार एक मद से दूसरे मद में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की स्वीकृति के उपरान्त व्यय की जा सकती है। कृपया उक्त राज्यादेश में अंकित मार्ग निर्देश एवं शर्त के अनुसार राशि के व्यय के उपरान्त मध्याह्न भोजन योजना समिति को उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7. भारत सरकार द्वारा वर्ग I-V के लिए 7500000 तथा वर्ग VI-VIII के लिए 2500000 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु वर्ग I-VIII के सभी नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना समिति का लक्ष्य है। अतः जिला द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राशि की माँग किये जाने पर सम्बन्धित जिला को आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

8. वैसे जिले जहाँ NCLP के बच्चों के लिए राशि का उपावंटन नहीं किया जा रहा है। यदि NCLP के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवंटन की आवश्यकता है तो माँग किये जाने पर राशि शीघ्र उपावंटित कर दी जाएगी।

29.6.12.

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

अनुलग्नक–01

54

मध्याह्न भोजन योजना
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमास के लिये मध्याह्न भोजन योजना हेतु विभिन्न मदों में उपावंटित की जाने वाली **केन्द्रांश** की राशि। (राशि लाख में)

क्रम संख्या	जिला	परिवर्तन मूल्य मद में 58 दिनों के लिये उपावंटित राशि		कुल (Col -3+4) का जोड़	रसोईया–सह–सहायक के मानदेय मद में	खाद्यान्न के मूल्य मद में	परिवहन – सह–हथालन मद में	प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में प्रथम तीन माह के लिये	NCLP के बच्चों के लिए 156 दिनों के लिए (परिवर्तन मूल्य, खाद्यान्न एवं परिवहन–सह–हथालन लागत सहित)।	कुल (col 5+6+7 +8+9+10)
		I-V	VI-VIII							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पटना	354.00	201.61	555.61	115.00	177.46	22.65	7.55		**878.27**
2	नालन्दा	252.00	142.94	394.94	189.00	87.27	11.14	6.83	14.23	**703.41**
3	भोजपुर	271.00	107.41	378.41	70.00	93.50	11.93	5.93		**559.77**
4	बक्सर	161.00	116.07	277.07	88.00	76.19	9.72	4.80		**455.78**
5	रोहतास	312.00	277.41	589.41	66.00	162.68	20.76	6.99		**845.84**
6	कैमूर	264.00	188.58	452.58	67.00	69.89	8.92	5.15		**603.54**
7	गया	361.00	200.45	561.45	102.00	140.51	17.93	8.30	48.27	**878.46**
8	जहानाबाद	165.00	155.94	320.94	71.00	46.50	5.93	4.21		**448.58**
9	अरवल	172.00	49.93	221.93	21.00	29.48	3.76	3.42		**279.59**
10	नवादा	582.00	109.78	691.78	81.00	82.43	10.52	5.71		**871.44**
11	औरंगाबाद	260.00	295.00	555.00	64.00	103.30	13.19	5.87		**741.36**
12	सारण	242.00	99.19	341.19	96.00	157.77	20.14	7.33		**622.43**
13	सिवान	281.00	168.42	449.42	69.00	134.42	17.16	6.53		**676.53**
14	गोपालगंज	240.00	124.80	364.80	68.00	90.71	11.58	5.86		**540.95**
15	मुजफ्फरपुर	401.00	182.64	583.64	333.00	196.06	25.03	6.90		**1144.63**
16	सीतामढ़ी	215.00	109.92	324.92	83.00	120.94	15.44	6.58		**550.88**
17	शिवहर	103.00	29.23	132.23	27.00	23.63	3.02	3.37		**189.25**
18	वैशाली	193.00	156.60	349.60	65.00	130.91	16.71	6.38		**568.60**
19	पूर्वी चम्पारण	374.00	183.33	557.33	128.00	180.41	23.03	9.04		**897.81**
20	प० चम्पारण	296.00	139.91	435.91	132.00	129.75	16.56	7.04		**721.26**
21	दरभंगा	203.00	135.88	338.88	157.00	121.67	15.53	6.94		**640.02**
22	मधुबनी	262.00	52.26	314.26	136.00	172.52	22.02	7.69	40.23	**692.72**
23	समस्तीपुर	418.00	207.87	625.87	173.00	140.76	17.97	7.42		**965.02**
24	पूर्णियां	352.00	360.19	712.19	70.00	191.50	24.44	6.49		**1004.62**
25	किशनगंज	209.00	57.87	266.87	58.00	67.83	8.66	4.52		**405.88**
26	अररिया	381.00	92.38	473.38	64.00	122.52	15.64	4.83		**680.37**
27	कटिहार	270.00	108.07	378.07	80.00	132.08	16.86	6.46	34.97	**648.44**
28	भागलपुर	352.00	135.03	487.03	70.00	106.90	13.64	5.77		**683.34**
29	बांका	257.00	64.20	321.20	50.00	68.66	8.76	5.73	1.38	**455.73**
30	मुंगेर	252.00	102.74	354.74	102.00	53.53	6.83	4.72		**521.82**
31	शेखपुरा	251.00	45.14	296.14	19.00	26.31	3.36	3.92		**348.73**
32	लखीसराय	134.00	49.79	183.79	33.00	38.06	4.86	3.67		**263.38**
33	जमुई	188.00	73.15	261.15	36.00	66.95	8.55	4.66	13.99	**391.30**
34	खगड़िया	80.00	96.27	176.27	67.00	66.21	8.45	4.61		**322.54**
35	बेगूसराय	252.00	135.86	387.86	138.00	122.73	15.66	6.60	19.58	**690.43**
36	सहरसा	255.00	84.27	339.27	42.00	67.62	8.63	4.94		**462.46**
37	सुपौल	266.00	122.50	388.50	145.00	89.44	11.42	5.09		**639.45**
38	मधेपुरा	255.00	97.86	352.86	67.00	85.95	10.97	5.29		**522.07**
	कुल	**10136.00**	**5060.49**	**15196.49**	**3442.00**	**3975.05**	**507.37**	223.14	**172.65**	**23516.70**

कुल– दो अरब पैंतीस करोड़ सोलह लाख सत्तर हजार रू० मात्र।

29.6.12.

निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

अनुलग्नक–02

मध्याह्न भोजन योजना

शिक्षा विभाग

बिहार, पटना

(53)

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमास के लिये मध्याह्न भोजन योजना हैतु विभिन्न मदों में जिला को उपावंटित की जाने वाली **राज्यांश** की राशि।

क्रम संख्या	जिला	परिवर्तन मूल्य मद में 58 दिनों के लिये		कुल (col-3+4) का जोड़	रसोईया–सह–सहायक के मानदेय मद में।	NCLP के बच्चों के लिये 156 दिनों के लिये परिवर्तन मूल्य मद में।	कुल (col-5+6+7)
		I-V	VI-VIII				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	122.00	67.01	189.01	38.49		**227.50**
2	नालन्दा	88.00	47.51	135.51	62.99	3.68	**202.18**
3	भोजपुर	94.00	35.70	129.70	23.31		**153.01**
4	बक्सर	56.00	38.58	94.58	29.47		**124.05**
5	रोहतास	109.00	92.20	201.20	22.06		**223.26**
6	कैमूर	92.00	62.68	154.68	22.44		**177.12**
7	गया	126.00	66.63	192.63	33.94	12.49	**239.06**
8	जहानाबाद	57.00	51.83	108.83	23.68		**132.51**
9	अरवल	60.00	16.59	76.59	7.04		**83.63**
10	नवादा	202.00	36.49	238.49	27.16		**265.65**
11	औरंगाबाद	91.00	98.05	189.05	21.38		**210.43**
12	सारण	84.00	32.97	116.97	32.04		**149.01**
13	सिवान	98.00	55.98	153.98	23.15		**177.13**
14	गोपालगंज	83.00	41.48	124.48	22.50		**146.98**
15	मुजफ्फरपुर	139.00	60.71	199.71	111.09		**310.80**
16	सीतामढ़ी	75.00	36.53	111.53	27.71		**139.24**
17	शिवहर	36.00	9.72	45.72	8.90		**54.62**
18	वैशाली	67.00	52.05	119.05	21.53		**140.58**
19	पूर्वी चम्पारण	130.00	60.93	190.93	42.58		**233.51**
20	प० चम्पारण	103.00	46.50	149.50	43.94		**193.44**
21	दरभंगा	71.00	45.16	116.16	52.23		**168.39**
22	मधुबनी	91.00	17.37	108.37	45.21	10.41	**163.99**
23	समस्तीपुर	145.00	69.09	214.09	57.76		**271.85**
24	पूर्णियां	122.00	119.72	241.72	23.21		**264.93**
25	किशनगंज	73.00	19.24	92.24	19.45		**111.69**
26	अररिया	133.00	30.71	163.71	21.33		**185.04**
27	कटिहार	94.00	35.92	129.92	26.71	9.05	**165.68**
28	भागलपुर	122.00	44.88	166.88	23.41		**190.29**
29	बांका	89.00	21.34	110.34	16.81	0.36	**127.51**
30	मुंगेर	88.00	34.15	122.15	34.13		**156.28**
31	शेखपुरा	87.00	15.00	102.00	6.22		**108.22**
32	लखीसराय	47.00	16.55	63.55	10.21		**73.76**
33	जमुई	66.00	24.31	90.31	11.94	3.62	**105.87**
34	खगड़िया	28.00	32.00	60.00	22.49		**82.49**
35	बेगूसराय	88.00	45.16	133.16	46.15	5.07	**184.38**
36	सहरसा	89.00	28.01	117.01	13.98		**130.99**
37	सुपौल	92.00	40.72	132.72	48.46		**181.18**
38	मधेपुरा	89.00	32.53	121.53	22.30		**143.83**
	कुल	**3526.00**	**1682.00**	**5208.00**	**1147.40**	**44.68**	**6400.08**

कुल– चौसठ करोड़ आठ हजार रू० मात्र।

29.6.12.

निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।